क्रमांक 13/41/2021–4जी.एस.–II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष।

दिनांक, चण्डीगढ 11 अगस्त 2021

विषयः– सेवानियमों/अधिनियमों में पंजाब शब्द की जगह हरियाणा शब्द संशोधित करने बारे।

****

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाते हुये कहूं कि हरियाणा राज्य के गठन हुए आज 55 वर्ष हो गये है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि हरियाणा सरकार के कर्मचारी/अधिकारी को लागू होने वाले सेवानियमों/अधिनियम आदि के शीर्ष में हरियाणा राज्य की बजाए पंजाब का नाम आ रहा है, जिसे संशोधित किया जाना है।

2. सरकार ने इस मामले में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि सभी प्रशासकीय सचिव तथा विभागाध्यक्ष अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानियम/अधिनियम में जहां–2 पंजाब शब्द आ रहा है उसे हरियाणा शब्द से प्रतिस्थापित करते हुए नियमों/अधिनियमों की संशोधित रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 31.08.2021 तक अविलम्ब भिजवाने का कष्ट करे।

3. आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृप्या ये परिपत्र अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में अनुपालना के लिये ला दिया जाए।

भवदीय

अधीक्षक सामान्य सेवायें–II
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृष्ठ क्रमांक–13/41/2021–4जी.एस.–II दिनांक चण्डीगढ 11 अगस्त 2021

एक प्रति प्रशासकीय सचिव न्याय प्रशासन एवं गृह विभाग को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि उपरोक्त मामले में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को दिनांक 31.08.2021 तक अवगत कराऐं।

Sd

अधीक्षक सामान्य सेवायें– II
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।